लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 जून, 2020 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	**श्री आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री श्रवण कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	डा0 विनोद कुमार सिंह,	कुलसचिव	सदस्य
5.	प्रो0 ए. एम. सक्सेना	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्री संजय श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2020 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

बिन्दु संख्या 02,03,04 एवं 05 पर वित्त समिति के समक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों यथा अभियांत्रिकीय संकाय, आई.एम.एस, वाणिज्य संकाय तथा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों में संविदा शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के संज्ञान मे लाया गया कि विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद द्वारा अपने बैठक दिनांक 27.05.2020 मे उक्त पद–सृजन संबंधी प्रस्तावों पर विचारोपरांत वित्त समिति की सहमति प्राप्त होने के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। बैठक में वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या –6/2020/बी.–1–2016/दस–2020–231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 का संदर्भ देते हुए प्रकरण को शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का प्रथमतः मत व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में गहन विचार–विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा यह तथ्य रखा गया कि संदर्भित शासनादेश में उन नियमित पदो के ही सृजन पर रोक लगायी गयी है,

जिसका व्ययभार शासन द्वारा वहन किया जाता है, जबकि प्रश्नगत पद स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सृजित किये जाने हैं एवं इन पदों पर होने वाला व्यय भार पाठ्यक्रमों से प्राप्त होने वाली आय से ही किया जाना है शासन पर इसका कोई व्यय–भार नहीं आयेगा तथा यह अवगत कराया गया कि अभियान्त्रिकीय संकाय का चतुर्थ वर्ष का बैच वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ होना है और बिना अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के नया बैच चला पाना सम्भव नही होगा। इसके साथ ही "Yoga and Alternative Medicine" संकाय का प्रारम्भ भी इसी शैक्षणिक सत्र से किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित के आधार पर संचालित किये जाने हैं। नयी फैकल्टी खोले जाने के फलस्वरूप अध्यापन कार्य हेतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सविदा शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना अपरिहार्य है। शासन की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने हैं, जिसके क्रम में नये–2 पाठ्यक्रमों को स्ववित्त पोषित के आधार पर प्रारम्भ किया जा रहा है। इससे वस्तुतः विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति ही सुदृढ़ होगी तथा विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढेगा। समिति के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत पदों को विज्ञापित किये जाने के पूर्व शासन से 'रोस्टर' की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायगा। तदुपरान्त समिति सदस्यो द्वारा विचार विमर्श के उपरांत इस प्रतिबंध के अधीन सहमति प्रदान की गई कि पदों को विज्ञापित करने के पूर्व रोस्टरिंग की अनुमति प्राप्त करने हेतु शासन को भेजे जाने वाले पत्र मे सभी तथ्यों का सम्यक् समावेश अनिवार्य रूप से किया जाय।

<u>बिन्दु संख्या–06</u>

समिति के समक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्ववित्त पोषित आधार पर योगा संकाय की स्थापना एवं उसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के स्नातक/परास्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक पदों का सृजन, शुल्क का निर्धारण एवं आय–व्ययक सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतु रखा गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से समय की मॉग को दृष्टिगत रखते हुए संकाय की स्थापना पर सहमति व्यक्त करते हुए संविदा के आधार पर पद सृजन के संबंध में उपर्युक्त बिन्दु सं0 02 से 05 तक में उल्लिखित कार्यवाही कराये जाने की संस्तुति की गयी।

<u>बिन्दु संख्या–07</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में शासन की नीति के अनुरूप कोविड–19 के दृष्टिगत परीक्षा मद में होने वाले अतिरिक्त व्ययों से सम्बन्धित प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त इसे भविष्य मे पुनः आवश्यकता का आकलन कर प्रस्तुत कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–08

वित्त समिति के समक्ष शासनादेश संख्या 2/2018/69–सत्तर–1–2018–16(58)/2017 दिनांक 18.01.2018 के क्रम में प्रो0 नवीन कुमार खरे, द्वारा प्रेषित प्रस्ताव "Appointment of Professors of Eminence" as per basis of G.O. of State Government, UP (No. 2/2018/69 sattar-1-2018-16(58)/2017 dated 18-01-2018). प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा संगत शासनादेश दिनांक 18.01.2018 में वर्णित व्यवस्था के अधीन कार्यवाही करने पर सहमति प्रदान कर दी गयी।

वित्त समिति के अध्यक्ष/कुलपति महोदय के अनुमति से प्रस्तुत अन्य बिन्दु:

अन्य बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति के समक्ष सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष किये गये व्ययों जिनके सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 के पूर्व ही क्रय आदि की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई थी जिस कारण भुगतान का दायित्व उत्पन्न हो गया था, किन्तु कोविड–19 के प्रसार के फलस्वरूप लॉक–डाउन के कारण उनका भुगतान 31.03.2020 तक किया नही जा सका है। इस सम्बन्ध में भुगतान हेतु प्रस्ताव विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त समिति द्वारा भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु संख्या–02

वित्त समिति के समक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय बिल्डिंग एण्ड वर्क्स कमेटी की बैठक दिनांक 20 मई, 2020 में लिए गये निर्णयों एवं उसका कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा संज्ञानित किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश प्रकिया लागू किये जाने विषयक गठित समिति की दिनांक 29 जून, 2020 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया और यह अवगत कराया गया कि प्रस्तावित केन्द्रीकृत प्रवेश

प्रक्रिया के अपनाने से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित सार्टिफिकेट/डिप्लोमा/पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति के द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुरूप शुल्क निर्धारण पर विचार–विमर्श के उपरान्त कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(इन्द्रजीत विश्वकर्मा)
अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 ए. एम. सक्सेना)
परीक्षा नियंत्रक

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति